



प्रेस विज्ञप्ति



दिनांक-18.02.2022

काले शीशे, काली फिल्म, बिना नम्बरी व बम्पर लगे अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध व बालवाहिनी के विरुद्ध विशेष अभियान

दिनांक 12.02.2022 को श्रीमान् नवज्योति गोगोई पुलिस आयुक्त जोधपुर द्वारा यातायात शाखा के अधिकारियों के साथ शहर की यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु एवं अपराधों में प्रयुक्त होने वाले सम्भावित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशों की पालना में श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर के सुपरविजन में श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, श्री रविन्द्र बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम/प्रशासन, श्री नरेन्द्रकुमार ईणकिया सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व के नेतृत्व में दिनांक 18.02.2022 को यातायात शाखा के अनुसंधान अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों में 123 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 04 वाहन जब्त किये गये ।

1. रंगीन फिल्म/काले शीशे- 68
2. बिना नम्बरी वाहन- 01
3. वाहनों के आगे/पीछे अनाधिकृत बम्पर लगाना- 14
4. तेजगति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाना- 31
5. वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर अस्पष्ट होना- 05
6. अनाधिकृत फैनसी नम्बर लगाना -04

बालवाहिनी योजना के अनुसार जांच एवं शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था का जांच अभियान चलाकर यातायात पुलिस द्वारा कुल 29 बालवाहिनियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

- 1.बिना वर्दी बालवाहिनी चलाना-11
- 2.बालवाहिनी में क्षमता अधिक बालकों बैठना-04
- 3.वाहन पर बालवाहिनी न लिखा होना-03
- 4.बालवाहिनी में अग्नी यंत्र न होना-03
- 5.बालवाहिनी चालक नेम प्लेट न होना- 02
- 6.बालवाहिनी चालक सीट बेल्ट न होना- 01
- 7.बालवाहिनी के साथ परिचालक न होना- 02
- 8.बालवाहिनी में फास्टएण्ड बाक्स न होना- 02
- 9.बालवाहिनी पीयूसी न होना- 01

ओर से
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर